

3

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श. प्र. शा. उच्च शिक्षण आवास निगम 2. वर्तमान धारित पद के. कृपाळ
3. वर्तमान वेतन ₹ 6,250/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.११.२०१०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① बिलोचन सिंह नगर, ओषाळ [म.प्र.]	प्रकोष्ठ (350.00 वर्गफी.)	—	4,00,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद के द्वारा दिनांक 31/12/1997 से सरकारी शक्ति कॉन्स्ट्रक्शन ओषाळ [म.प्र.]	निरंत	—
② ग्राम-नीलबड, जिला-ओषाळ [म.प्र.]	—	असिंचित कृषि भूमि 0.014 हेक्टर (या 150.00 वर्गफी.)	2,50,000/-	—	खरीद के द्वारा दिनांक 13-02-2009 श्री भागचंद बापम पुत्र श्री रमेश चंद बापम जी.पी. नगर ओषाळ [म.प्र.]	निरंत	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर के. कृपाळनाम (श. प्र. शा. उच्च शिक्षण आवास निगम)पद के. कृपाळ